न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विविध प्रकरण क्रमांक : /2015 रेस्टो० 1288-PBR/15

मल्ल22 पुत्र श्री रमेश सहरिया आदिवासी निवासी ग्राम गुढ़ा तहसील कोलारस जिला शिवपुरी (म.प्र.)

———आवेदक

विरूद्ध

(1) लाल किशन पुत्र लोहरे सेहर आदिवासी निवासी ग्राम पीतमपुरा (गुढ़ा) तहसील कोलारस जिला शिवपुरी (म.प्र.)
(2) रामदयाल पुत्र किशन सेहर आदिवासी निवासी ग्राम रादोल तहसील व जिला शिवपुरी (म.प्र.) ———अनावेदकगण।

श्री विनोद भार्गव अधि. द्वारा आज दि. 2-6-15 को प्रस्तुत
2-6-15
रीडर ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विनोद भार्गव
एडवोकेट
ग्वालियर
2-6-15

म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 9 के अन्तर्गत निर्मित नियमों के नियम 32 के अधीन आवेदन पत्र।

माननीय महोदय,

आवेदक का आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

1 यह कि, आवेदक का प्रकरण क्रमांक R-297-III/15 माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 26/3/15 को नियत था।

2 यह कि, नियत दिनांक 26/3/15 को आवेदक के अधिवक्ता/अभिभाषक संघ के निर्णय अनुसार सामूहिक रूप से कार्य से विरत थे। आवेदक अपने अधिवक्ता पर आश्वस्त था। इस कारण आवेदक नियत दिनांक को 26/3/15 को उपस्थित नही हो सका और प्रकरण अदम पैरवी में खारिज हो गया। जिसकी जानकारी अधिवक्ता को मई में खारिज प्रकरणों की सूची सूचना फलक/बोर्ड पर चस्पा करने पर हुयी। जानकारी दिनांक से आवेदन समय सीमा के भीतर प्रस्तुत है।

3 यह कि, न्यायहित में प्रकरण पुनः स्थापित कर गुणा–गुण पर सुनवाई की जाकर निर्णय किया जाना न्यायोचित होगा।

अतएव उपर्युक्तानुसार निवेदन है कि, आवेदन स्वीकार कर प्रकरण क्रमांक R-297-III/15 पुर्न स्थापित कर गुणा–गुण पर सुनवाई किये जाने का आदेश प्रदान किया जाए।

s-ld

दिनांक 02-06-2015
स्थान–ग्वालियर

प्रार्थी
मल्ल22 – आवेदक
(द्वारा– अभिभाषक)
आर. डी. शर्मा

लड्डू / बालकिशन

Resto. 1282-PB84/15 शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अ... आदि के ...
10.6.2015	आवेदक की ओर से श्री आर० डी० शर्मा अभिभाषक उपस्थित। तर्क सुने गये। अनुपस्थिति का कारण समाधान कारक होने से मूल प्रकरण पुनर्स्थापित किया जाता है। इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से समाप्त किया जाता है। अध्यक्ष	

ग्राशेमुखा—320—फॉर्म—21-9-12—5,000 प्रपत्र